

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में टेलर के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 0सं .जा.के का 13.10.2015 पालन मेंके अनु (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एबी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में टेलर के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक गियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/ भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से बैसे दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल 30, (Thenkholal baite)अनुभाग अधिकारी -एमएच)II(, कमरा सं . ए405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।-

डा. सामंत
(ग. प्र. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:01123061521

नई दिल्ली
दिनांक :

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2019

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979, जहां तक उनका संबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में टेलर के पद से है, को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, टेलर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, टेलर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता : वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व कर्मचारियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
डेलर	5 (पाँच) (2019)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18,000-56900 रुपये)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुद्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में चैतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) या समकक्ष उत्तीर्ण तथा (ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार संस्थान (आईटीआई) या समकक्ष से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कटिंग व टेल्रिंग में प्रमाण पत्र टिप्पण1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण: 1 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह रय है कि उनके लिए आरक्षित शिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतियुक्ति/आमोलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतियुक्ति या आमोलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतियुक्ति/आमोलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8) लागू नहीं	(9) दो वर्ष	(10) सीधी भर्ती द्वारा	(11) लागू नहीं	(12) विभागीय पुरि समिति में होंगे:- (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हाईंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नई दिल्ली (ii) उपनिदेशक(प्रशासन), लेडी हाईंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नई दिल्ली (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के उपनिदेशक(प्रशासन)	(13) लागू नहीं

[फा10 सं0 ए. 12018/18/2016 एमएच II]

(जीपी सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार